



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

C. Kem.
10/1/85

सं० 532]
No. 532)

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 1984/कार्तिक 14, 1906
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 1984/KARTIKA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1984

का. आ. 817 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84.—
केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का.
आ. 602 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./74, तारीख 9
अक्टूबर, 1974 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश
कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित को
मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता
का प्रबन्ध 9 अक्टूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष
की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया
था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक
विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 567 (अ) 18कक/
आई. डी. आर. ए./78, तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा
उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के
मुख्य अधिशासक श्री पी. एन. रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया
गया था, और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक

विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 866 (अ)/18कक/
आई. डी. आर. ए./80, तारीख 29 अक्टूबर, 1980 द्वारा
श्री के. एन. बॅनर्जी, उप-महाप्रबन्धक, भारत हवी इलेक्ट्री-
कल्स लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम के
प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास
विभाग) के आदेश सं. का. आ. 572 (अ)/18 कक/आई. डी.
आर. ए./79, तारीख 8 अक्टूबर, 1979, का. आ. 738
(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./81, तारीख 6 अक्टूबर,
1981 का. आ. 263 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./82,
तारीख 8 अप्रैल, 1982, का. आ. 719(अ)/18कक/आई. डी.
आर. ए./82, तारीख 8 अक्टूबर, 1982, का. आ. 8 (अ)/
18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 7 जनवरी, 1983,
का. आ. 282 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./83, तारीख
8 अप्रैल, 1983 का. आ. 718 (अ)/18कक/आई. डी. आर.
ए./83, तारीख 7 अक्टूबर, 1983, का. आ. 10 (अ)/
18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 7 जनवरी, 1984,
का. आ. 271 (अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख
7 अप्रैल, 1984, का. आ. 491 (अ)/18कक/आई. डी.
आर. ए./84, तारीख 6 जुलाई, 1984, और का. आ. 761
(अ)/18कक/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 1 अक्टूबर,
1984, द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 8 नवम्बर, 1984
तक, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश एक मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 8 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2 (23)/79-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th November, 1984

S. O. 817(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 602(E)|18AA|IDRA|74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as the said Order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta for a period of five years commencing from 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramchandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 567(E)|18AA|IDRA|78, dated the 25th September, 1978 and by Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electricals Limited, Calcutta, by the Order of the

Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S. O. 866(E)|18AA|IDRA|80, dated the 29th October, 1980, to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Nos. S.O. 572(E)|18AA|IDRA|79, dated the 8th October, 1979, S. O. 738(E)|18AA|IDRA|81, dated the 6th October, 1981, S. O. 263(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th April, 1982, S. O. 719(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th October, 1982, S. O. 8(E)|18AA|IDRA|83, dated the 7th January, 1983, S. O. 282(E)|18AA|IDRA|83, dated the 8th April, 1984, S. O. 718(E)|18AA|IDRA|83, dated the 7th October, 1983 S.O. 10(E)|18AA|IDRA|84, dated the 7th January 1984, S. O. 271(E)|18AA|IDRA|84, dated the 7th April, 1984, S. O. 491(E)|18AA|IDRA|84, dated the 6th July, 1984 and S. O. 761(E)|18AA|IDRA|84, dated the 1st October, 1984, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th November, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of one month ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th December, 1984.

[File No. 2(23)|79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.